रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 129] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 1970/आषाढ़ 23, 1892

No. 129] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 1970/ASADHA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July 1970

G.S.R. 1038.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941 (Bengal Act 6 of 1941), as in force in the Union territory of Delhi, the Central Government hereby gives notice of its intention to make, with effect from the 1st day of August 1970, the following further amendments in the Second Schedule to the said Act.

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the following amendments before the 28th July, 1970, will be considered by the Central Government.

Draft Amendments

In the said Schedule, for item No. 17, the following item and the Explanation shall be substituted, namely:—

"17. All varieties of cotton fabrics, rayon or artificial silk fabrics and woollen fabrics but not including durries, druggets and carpets.

Explanation.—The expressions "Cotton fabrics", "rayon or artificial silk fabrics" and "woollen fabrics' shall have the same meanings as are, respectively assigned to them in the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)."

[No. F. 16/22/68-UTL.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1970

सा०का० नि० 1038 :—दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 (1941 का बंगाल अधिनियम 6), की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में अगस्त, 1970 के पहले दिन से और आगे निम्नलिखित संशोधन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

निम्नलिखित संशोधनों के बारे में जो कोई सुझाव या आक्षेप किसी व्यक्ति से 28 जुलाई, 1970 से पूर्व प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप संशोधन

उक्त अनुसूची में मद सं० 17 के स्थान पर निम्नलिखित मद और स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"17. सूती फैब्रिक, रेयान या कृत्रिम रेशमी फैब्रिक और ऊनी फैब्रिक किन्तु इसके अन्तर्गत पंरियां, ड्रेगेट और कालीन नहीं हैं।

स्पष्टीकरण:—"सूती फैब्रिक", "रेयान या कृत्रिम रेशमी फैब्रिक" और "ऊनी फैब्रिक" पदों के वे ही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) में हैं"

[सं० फा० 16/22/68—यू०टी०एल०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970